राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या 2364/2010/चित्तौडगढ
2.अपील संख्या 2365/2010/चित्तौडगढ
3.अपील संख्या 2366/2010/चित्तौडगढ
4.अपील संख्या 2367/2010/चित्तौडगढ
5.अपील संख्या 2368/2010/चित्तौडगढ
6.अपील संख्या 2369/2010/चित्तौडगढ

मैसर्स चन्द्र लोक सिनेमा
चित्तौडगढ — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–चित्तौडगढ — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 16.12.2018

निर्णय

ये छः अपीलें अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 63, 61 व 62/Entt/2009–10 में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 29.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उपरोक्त सभी अपीलों में समान बिन्दु निहित होने एवं व्यवहारी एक ही होने से इनका निष्पादन एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रूप से रखी जाये।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी एक सिनेमा चलाता है। वर्ष 2003–04 मार्च से सितम्बर 04 तक का प्रशमन आदेश हेतु प्रार्थना पत्र उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर,भीलवाडा के यहां लम्बित होने के कारण वह नियत फार्म 'एफ' एवं मनोरंजन कर जमा करवाता रहा। दिनांक 12.07.2004 के अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा किये गये आवेदन पत्र सपठित प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2004 को ध्यान में रखते हुए संशोधन प्रशमन आदेश दिनांक 05.11.2004 को जारी किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील निर्णय दिनांक 07.11.2007 में कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते निर्देश दिए गये थे कि उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर भीलवाडा के प्रशमन आदेश के अनुसार आदेश पारित करें। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में राजस्थान मनोरंजन कर अधिनियम, 1957 (जिसे आगे मनोरंजन कर कहा जायेगा) की धारा 13 ई के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.05.2008 पारित कर मांग सृजित कर दी। उक्त आदेश दिनांक 16.05.2008

में संशोधन हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–चित्तौडगढ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने अधिनियम की धारा 13ई के अन्तर्गत आदेश दिनांक 30.04.2009 पाारित कर संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने वर्ष 2004–05 प 2005–06 में कर निर्धारण आदेश वर्ष 2003–04 में प्रतिदाय नही मिलने से प्रभावित है, अतः प्रतिदाय देय नहीं मानते हुए अपीलें अस्वीकार की गयीं।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उसके द्वारा जिलाधीश, चित्तौडगढ के कार्यालय में छविग्रह की बैठक क्षमता को कम करने हेतु स्वीकृति देने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2002 को प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उसका निस्तारण दिनांक 26.10.2004 तक नहीं हो पाने के कारण संभावित परेशानियों से बचने हेतु मासिक कर की राशि दर्शकों की संख्या को ध्यान में रखकर स्वंय द्वारा जमा करायी गयी थी, जिससे छविग्रह पर एक साथ अन्यथा अधिक बोझ न पडे एवं इन्हीं कारणों से प्रस्तावित प्रारूप में सभी रिक्तियों को अंकित करके मासिक रिटर्न प्रस्तुत किये गये थे, जिसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि अपीलार्थी द्वारा दर्शकों से मनोरंजन कर की राशि वसूल की गयी थी। उनका कथन है कि उक्त बिन्दु की जांच हेतु कर निर्धारण अधिकारी ने ना तो कोई तथ्य जुटाये और ना ही कोई जांच की गई। इन्हीं तथ्यों के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील संख्या 18/मनो./चि/07–08 में सम्बन्धि मुद्दों पर अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय दिनांक 07.11.2007 पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 05–06 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.05.2007 निरस्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए कि उपायुक्त (प्रशासन) भीलवाडा के जारी संशोधित प्रशमन आदेश दिनांक 05.11.2004 के अनुसरण में नए सिरे से आदेश पारित करें। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में दिनांक 16.05.2008 व 30.04.2009 आदेश पारित किए, जिसमें अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.11.2007 मे दिये गये निर्देश की पालना नही कर पुनः मांग सृजित कर दी। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2010 पारित किया है। उनका कथन है कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 26.10.2004 तक नहीं हो पाने के कारण संभावित परेशानियों से बचने

हेतु मासिक कर की राशि दर्शकों की संख्या को ध्यान में रखकर स्वंय द्वारा जमा करायी गयी थी, जिससे छविग्रह पर एक साथ अन्यथा अधिक बोझ न पडे। उनका कथन है कि उसके द्वारा सिनेमा देखने वालों से कोई अन्यथा मनोरंजन कर वसूल नही किया गया है बल्कि उसने स्वयं ने जमा कराया है,जिसका रिफण्ड उसे मिलना ही चाहिए। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने गलत धारणा से यह माना कि उसके द्वारा जमा कराया गया मनोरंजन कर सिनेमा देखने वालों से वसूल कर जमा कराया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को विधिक बताते हुए प्रस्तत अपील अस्वीकार करने कां निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपीलों में प्रमुख प्रश्न यह है कि अपीलार्थी द्वारा जिलाधीश, चित्तौडगढ के कार्यालय में छविग्रह की बैठक क्षमता को कम करने हेतु स्वीकृति देने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2002 को प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उसका निस्तारण दिनांक 26.10.2004 तक नहीं हो पाने के कारण संभावित परेशानियों से बचने हेतु मासिक कर की राशि दर्शकों की संख्या को ध्यान में रखकर स्वंय द्वारा जमा करायी गयी थी, जिससे छविग्रह पर एक साथ अन्यथा अधिक बोझ न पडे एवं इन्हीं कारणों से प्रस्तावित प्रारूप में सभी रिक्तियों को अंकित करके मासिक रिटर्न प्रस्तुत किये गये थे, जिसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि अपीलार्थी द्वारा दर्शकों से मनोरंजन कर की राशि वसूल की गयी थी। उसके द्वारा अधिक जमा करायी गई राशि का प्रतिदाय चाहने हेतु दिनांक 30.12.2004 को आवेदन किया गया था जिसे वर्ष 2003–04 की अविध के पारित आदेश किये गये आदेश दिनांक 29.05.2007 में खारिज किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किए गए । बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक यह कथन किया है कि प्रतिप्रषित आदेश दिनांक 07.11.2007 में दिए गए निर्देशों की पालना किये गये बिना ही आदेश दिनांक 16.05.2008 एवं 30.04.2009 पारित किये गये हैं, जो अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने पूर्व अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2007 के पेज दो पर अपीलार्थी के निम्न कथन को तो उद्धृत किया है परन्तु इस पर विस्तार पूर्वक तथ्यात्मक अथवा विधिक निर्णय अपीलीय आदेश दिनांक 29.09.2010 में भी नहीं दिया गया है :–

"यह कि छविग्रह के द्वारा टिकटों में कभी भी पृथक से कर की राशि प्रदर्शित नहीं की है। पृथक से कोई भी कर वूसल नही किया है। छविगृह के द्वारा जिलाधीश कार्यालय में छविगृह में बैठने की क्षमता को कम किये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 2002 में

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका नियमानुसार निस्तारण नहीं होने के कारण तथा अनावश्यक परेशानियों से बचने हेतु अनुमान के आधार पर कर की राशि जमा करायी गयी थी जिससे छविगृह पर एक साथ अन्यथा भार नहीं पडे। चूँकि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 27.09.2003 को कम्पोजीशन स्कीम में संशोधन स्कीम में संशोधन कर 01.04.2003 से प्रभावी कर दिया गया था तथा अधिसूचना जारी होने से 30 दिन का समय विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रदान किया गया था जिसकी छविगृह के द्वारा पालना की गयी है अन्यथा कोई भी परिस्थिति छविगृह के प्रतिकूल नहीं थी जिसमें पूर्व में जमा करायी गयी राशि के समायोजन में कोई भी परेशानी हो। इसी विधिक परिस्थितियों को देखते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष रिफण्ड हेतु प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके लिए वह हकदार था तथा सहायक आयुक्त के द्वारा गलत रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित रिफण्ड की राशि को अस्वीकार कर उपायुक्त(प्रशासन),वाणिज्यिक कर, भीलवाडा के द्वारा पारित आदेश को ध्यान में नहीं रखकर रू. 78,840/—की राशि अधिक जमा मानते हुए आदेश पारित किया गया है जो कि अनुचित एवं अविधिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।"

हस्तगत प्रकरणों के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी इस तथ्य की जांच करें कि क्या अधिक जमा करायी गयी राशि अपीलार्थी स्वयं जमा कराया है अथवा सिनेमा देखने वाले दर्शकों से वसूल कर जमा करायी है,जिसका जिक्र अपीलीय अधिकारी ने अपील आदेश दिनांक 07.11.2007 में किया है, यदि जांच के बाद यह पाया जाये कि राशि अपीलार्थी स्वयं ने जमा करायी हो तो रिफण्ड दिया जाये, साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपील आदेश दिनांक 07.11.2007 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी पुनः न्याय संगत आदेश पारित करें।

फलस्वरूप अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य